तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी अपील सख्या 25/2018(148/13)** **सीआईएस संख्या 1146/2014** **सत्यनारायण बनाम दरगाह कमेटी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.09.2025	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। और बहस नहीं करना चाहा। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पूर्व में सुनी जा चुकी है। जिसका इस आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में मूल दावे की पत्रावली दिनांक 05.02.1999 को निर्णित हुई थी। जिसमें पारित डिक्री के विरूद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें पारित आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गयी है। जिस सम्पत्ति बाबत डिक्री हुई है, वह तथा प्रार्थी/अपीलार्थी की सम्पत्तियां भिन्न–भिन्न है। प्रकरण की मूल पत्रावली में नक्शा तथा पारित निर्णय है, जो रिकॉर्ड हस्तगत अपील के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु अवलोकन करना आवश्यक है तथा जिस आदेश की अपील प्रस्तुत की गयी है, उसमें भी मूल दावे की पत्रावली का अवलोकन किया गया है। अतः उक्त दावे का अवलोकन करना आवश्यक है। अतः उसे रिकॉर्ड रूम से तलब किया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि प्रकरण में केवल मात्र देरी करने के आशय से अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा यदि वह चाहे तो मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके न्यायालय में पेश कर सकता है। किसी प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिस आक्षेपित आदेश दिनांक 12.12.2013 के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गयी है, उसके अवलोकन से दर्शित है कि उक्त आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली का अवलोकन किया जाकर उसके तथ्य वर्णित किये गये हैं तथा जो मूल पत्रावली रिकॉर्ड रूम में होना बताया गया है। यदि उक्त पत्रावली तलब कर ली जावे तो किसी पक्षकार को कोई पूर्वागृह होना दर्शित नहीं है, वहीं पत्रावली आने से न्याय निर्णय में सहायता होने से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः बाद गौर न्यायोचित प्रतीत होने से अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मूल प्रकरण की पत्रावली अविलम्ब रिकॉर्ड रूम से तलब की जावे।	

	पत्रावली वास्ते पेश होने मूल पत्रावली एवं बहस अपील हेतु दिनांक 26.09.2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश,** **क्रम–3, अजमेर**	